Registered No. E.P.-97 रजिस्टर्ड नं० इ० पी०-९७

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 30 मार्च, 1955

विधान सभा विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-4, 26 मार्च, 1955

सं० वी. एस. 71/55.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 98 के अधीन निम्नलिखित विधेयक, जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 24 मार्च, 1955 को पुरः स्थापित हुआ, एतद्द्वारा सर्व सामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 16, 1955

हिमाचल प्रदेश जाति-बहिष्कार निवारण विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में पुरः स्थापित किया गया)

हिमाचल प्रदेश में जाति-बहिष्कार निषेध करने का

विधेयक

यह गणतन्त्र के छठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जाति-बहिष्कार निवारण अधिनियम, 1955 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. परिभाषाएं.—जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(क) "समुदाय (Community)" का तात्पर्य ऐसे जन-समूह से है जिसके सदस्यों का इस तथ्य के आधार पर पारस्परिक सम्बन्ध हो कि वे जन्म से, धर्म-परिवर्तन से या किसी धार्मिक संस्कार का पालन करने से एक ही धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय (creed) से सम्बन्ध रखते हैं, और इसके अन्तर्गत जाति या उप-जाति भी है;

(ख) "जाति-बहिष्कार (excommunication)" का तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसे समुदाय से निकालना है जिसका वह सदस्य हो, और जिससे वह ऐसे अधिकारों या विशेषाधिकारों (privileges) से वंचित हो जाए जो उसके या उसकी ओर से समुदाय के किसी सदस्य द्वारा दीवानी प्रकार के वाद से वैधानिक रूप में प्रवर्तनीय हो।

स्पष्टीकरण.—इस तथ्य के होते हुए भी कि किसी अधिकार का निश्चय नितान्त रूप से समुदाय के धार्मिक संस्कार, रसम, नियम या रिवाज के सम्बन्ध में उठे किसी प्रश्न के निर्णय पर निर्भर है, पद ग्रहण करने या सम्पत्ति या किसी धार्मिक स्थान में पूजा करने या शव जलाने या दफनाने का अधिकार इस खण्ड के प्रयोजनार्थ दीवानी प्रकार के वाद द्वारा वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार के अन्तर्गत होगा।

3. जाति-बहिष्कार मान्य नहीं होगा और इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा.—तत्काल प्रचलित किसी विधि, प्रथा या रिवाज में किसी बात के विपरीत होते हुए भी किसी समुदाय के सदस्य का कोई भी जाति-बहिष्कार मान्य नहीं होगा और उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा।

4. शास्ति.—जो कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिस से कि समुदाय के किसी सदस्य का जाति-बहिष्कार हो जाए या जो ऐसा करने में सहायक हो, वह दोषी ठहराए जाने पर एक हजार रुपए तक के अर्थदण्ड का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.—जब वह व्यक्ति जिस पर इस धारा के अधीन अपराध करने का आरोप लगाया गया हो, व्यक्तियों की निगमित संस्था या संघ हो या निगमित न हो, और यदि उक्त संस्था या संघ की बैठक में अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिस ने जाति-बहिष्कार से सम्बन्ध निर्णय के पक्ष में मत दिया हो, यह समझा जायगा कि उसने अपराध किया है।

5. इस अधिनियम के अधीन अधिकार क्षेत्र.—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 (Code of Criminal Procedure, 1898) में किसी बात के होते हुए भी, पहली श्रेणी

के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से कम श्रेणी का कोई भी न्यायालय धारा 4 के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध की अन्वीक्षा नहीं करेगा।

6. अपराध संज्ञान करने की रीति.—कोई भी न्यायालय—

(क) उस दिनांक से एक वर्ष समाप्त हो जाने पर कि जिस दिनांक को अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया हो, और

(ख) हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे पदाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कम पदवी का न हो, की पूर्व स्वीकृति लिए बिना ;

धारा 4 के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

समुदाय द्वारा किसी व्यक्ति का जाति-बहिष्कार कर देना अवांछनीय है। इस विधेयक में ऐसे जाति-बहिष्कार अमान्य और अप्रवर्तनीय करने की व्यवस्था की गई है। और जो व्यक्ति समुदाय के किसी व्यक्ति का जाति बहिष्कार कर उन पर साथ साथ शास्ति भी आरोपित कर दी गई है।

यशवन्त सिंह परमार,
मुख्य मंत्री।

शिमला-4, 26 मार्च, 1955

सं० वी० एस-70/55.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 98 के अधीन निम्नलिखित विधेयक, जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा 24 मार्च, 1955 को पुरः स्थापित हुआ, एतद द्वारा सर्वसामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक न० 18, 1955

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में पुरः स्थापित हुआ)

31 मार्च, 1956 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवाओं के लिए संचित निधि में से कतिपय राशियां चुकाने और उन का विनियोग करने के हेतु

विधेयक

यह निम्नलिखित रूप में विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया जाए :—

1. संक्षिप्त नाम.—यह अधिनियम 1955 का "हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (न०)" कहलाएगा।

2. वर्ष 1955-56 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 5,77,70,000 रुपये निकाला जाना.—31 मार्च, 1956 को अन्त होने वाले वर्ष, की सेवाओं के व्ययों को पूरा करने के हेतु उन को चुकाने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के सञ्चित धन में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में विशिष्ट राशियां चुकाई जाएं, जो उस स्तम्भ में विशिष्ट राशियों, जिन का जोड़ 5,77,70,000 रुपये है उस से अधिक नहीं होंगी ।

3. विनियोग.—हिमाचल प्रदेश राज्य की सञ्चित निधि में से जिन राशियों को इस अधिनियम के द्वारा चुकाने और प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, उन राशियों का विनियोग, 31 मार्च, 1956 को अन्त होने वाले वर्ष के विषय में अनुसूची में प्रदर्शित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए किया जायेगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान की संख्या	सेवाएं तथा प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
1	2	3		4
1	मालगुजारी	10,98,000	—	10,98,000
2	राज्य आबकारी	1,72,000	—	1,72,000
3	स्टाम्प	10,000	—	10,000
4	वन	35,55,000	—	35,55,000
5	रजिस्ट्री	1,000	—	1,000
6	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	7,000	—	7,000
7	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	1,000	—	1,000
8	राजस्व से होने वाले अन्य व्यय जो साधारण राजस्व से किए जाते हैं	3,59,000	—	3,59,000
	ऋण तथा अन्य दायित्व पर ब्याज	—	1,000	1,000
9	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	29,51,600	1,39,400	30,91,000
10	न्याय प्रशासन	4,26,900	35,100	4,62,000

1	2	3		4
11	कारागार तथा बन्दी बस्तियां	2,15,000	—	2,15,000
12	पुलिस	28,66,000	—	28,66,000
13	वैज्ञानिक विभाग	2,000	—	2,000
14	शिक्षा	48,52,000	—	48,52,000
15	चिकित्सा	22,21,000	—	22,21,000
16	सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,33,000	—	13,33,000
17	कृषि	17,88,000	—	17,88,000
18	पशु चिकित्सा	5,90,000	—	5,90,000
19	सहकारिता	6,64,000	—	6,64,000
20	उद्योग तथा प्रदाय	20,98,000	—	20,98,000
21	विविध विभाग	1,06,000	—	1,06,000
22	नागरिक निर्माण कार्य	42,90,000	—	42,90,000
23	यातायात	19,32,000	—	19,32,000
24	साधारण राजस्व से वितयोक्षित विद्युत योजनाओं पर व्यय	1,52,000	—	1,52,000
25	भारतीय राजाओं के सम्बन्धियों को भत्ते	2,35,000	—	2,35,000
26	वृद्धावस्था के भत्ते तथा निवृति वेतन	43,000	—	43,000
27	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	3,83,000	—	3,83,000
28	विविध	10,83,000	—	10,83,000
29	बिजली योजना सम्बन्धी व्यय	1,60,000	—	1,60,000
30	बस वा जल की सेवाओं पर व्यय	32,29,000	1,34,000	33,63,000
31	सामूहिक विकास योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास क्षेत्र	43,33,000	—	43,33,000

1	2	3		4
32	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई कार्यों पर पूंजी व्यय	48,41,000	—	48,41,000
33	कृषि सुधार एवं खोज की योजनाओं पर पूंजी लागत	2,22,000	—	2,22,000
34	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक कार्यों पर पूंजी लागत	57,61,000	—	57,61,000
35	विद्युत योजनाओं पर पूंजी व्यय	6,85,000	—	6,85,000
36	पथ परिवहन योजनाओं पर पूंजी व्यय	8,85,000	—	8,85,000
37	राजकीय व्यापार की योजनाओं पर पूंजी व्यय	25,28,000	—	25,28,000
	कर्जे की वापसी पर व्यय	—	20,000	20,000
38	ऋण तथा अग्रिम धन जिन पर ब्याज लगता है	13,62,000	—	13,62,000
	योग	5,74,40,500	3,29,500	5,77,70,000

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वित्तीय वर्ष 1955-56 के लिए हिमाचल प्रदेश शासन के आगणित व्यय (Estimated Expenditure) के सम्बन्ध में संचित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि का विनियोग करने की व्यवस्था करने के लिए यह विधेयक 'ग' भाग राज्य शासन अधिनियम, 1951 (Government of Part 'C' States Act, 1951) की धारा 30 तथा 'ग' भाग राज्य शासन (संशोधन) अधिनियम, 1954 [Government of Part 'C' States (Amendment) Act, 1954] की धारा 7 के अनुसार पुरः स्थापित किया जाता है।

वित्त मन्त्री।

शिमला-4, 26 मार्च, 1955

सं० वी० एस० -72/55.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिय नियमों के नियम 98 के अधीन निम्नलिखित विधेयक, जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 24 मार्च, 1955 को पुरः

स्थापित हुआ एतत द्वारा सर्व सामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 19, 1955

हिमाचल प्रदेश कृषिक्षेत्र एकत्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में पुर:स्थापित हुआ)

हिमाचल प्रदेश कृषिक्षेत्र एकत्रीकरण अधिनियम, 1953 में संशोधन करने का विधेयक

यह गण तंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषिक्षेत्र एकत्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 1955 होगा ।

(2) इस का प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश में होगा ।

(3) यह तुरन्त (atonce) प्रचलित होगा

2. धारा 4 में संशोधन.— हिमाचल प्रदेश कृषिक्षेत्र एकत्रीकरण अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (2) में शब्द "उक्त अधिनियम और उक्त नियमों द्वारा कलेक्टर, एसिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार को प्रदान की हुई समस्त शक्तियां सम्पदा, सम्पदा समूह या सम्पदा के उपभाग में एकत्रीकरण प्रवर्तन (consolidation operations) के रहने तक, क्रमश:, बन्दोबस्त अधिकारी (एकत्रीकरण), एकत्रीकरण अधिकारी और सहायक एकत्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रयोग में लाई जाएंगी।" के स्थान पर शब्द "उक्त अधिनियम और उक्त नियमों द्वारा कलेक्टर और एसिस्टेंट कलेक्टर को प्रदान की हुई समस्त शक्तियां सम्पदा समूह या सम्पदा के उपभाग में एकत्रीकरण प्रवर्तन (consolidation operations) के रहने तक, निम्नलिखित रूप में प्रयोग में लाई जाएंगी :—

(1) एकत्रीकरण संचालक (Director of Consolidation)			कलेक्टर
(2) बन्दोबस्त अधिकारी (एकत्रीकरण)	...	...	कलेक्टर
(3) एकत्रीकरण अधिकारी	...	...	एसिस्टेंट कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी
(4) एसिस्टेंट एकत्रीकरण अधिकारी	...	...	एसिस्टेंट कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

इस विधेयक द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषिक्षेत्र एकत्रीकरण अधिनियम, 1953 में कुछ संशोधन करने की व्यवस्था की गई है, ताकि क्लेक्टर की शक्तियां एकत्रीकरण संचालक (Director of Consolidation) और बन्दोबस्त अधिकारी (एकत्रीकरण) [Settlement Officer (Consolidation)] को दी जा सकें। हिमाचल प्रदेश में खाता एकत्रीकरण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि क्लेक्टर की शक्तियां इन अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाएं। अतएव संशोधन-विधेयक में यह उपबन्ध बनाने की व्यवस्था की गई है।

यशवन्त सिंह परमार

चेत राम,
सचिव।

Printed and Published in India by the Manager, H. P. Govt. Press, Simla-3.